ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

— आदेश :—

पार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सांसेरा ..... व भूअभि मेहन्दुरीया ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम घड़गावड़ी तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत 2077 में खाता संख्या 49 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है – शंकरी पुत्री धापाराम गाडरी

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	घड़गावड़ी	49	SBBJ शाखा राजसमन्द	SBI शाखा राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....

सहायक कलक्टर

क्रमांक:– राजस्व / 2025/132 दिनांक – 03.10.25

प्रतिलिपि –

1 तहसीलदार रेलमगरा ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... का सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....

सहायक कलक्टर